



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072021-228485
CG-DL-E-27072021-228485

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2734]
No. 2734]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 26, 2021/श्रावण 4, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 26, 2021/SRAVANA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

का.आ. 2940(अ).—भारत सरकार, भूतल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1063(अ) दिनांक 8 मार्च 2021 जो भारत के राजपत्र असाधारण अंक अंश-II खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित हुआ है, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम प्रसंगित किया गया है की धारा 3(क) की उप-धारा (1) के अधीन है, में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने के पश्चात कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-120 के कि.मी. 142.050 (गोह) से कि.मी. 167.465 (दाउदनगर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त विवरण उपावद्ध सूची में दिया गया है, एतद द्वारा ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार-पत्र "हिंदुस्तान" (हिंदी संस्करण) दिनांक- 28.04.2021 एवं "The Times of India" (अंग्रेजी संस्करण) दिनांक- 28.04.2021 को दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है

;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. -120 के कि.मी. 142.050 (गोह) से कि.मी. 167.465 (दाउदनगर) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में पड़ने वाली भूमि का ढाँचा सहित अथवा ढाँचों के बिना किये जाने वाले भूमि अधिग्रहण का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: औरंगाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: गोह				
	गांव का नाम: गोह				
1	1143	निजी	आवासीय	0.00655	यमुना मिस्त्री पिता- सगुनी मिस्त्री (1143)
2	1143	निजी	आवासीय	0.00485	भरत मिस्त्री पिता - चंद्रदीप मिस्त्री (1143)
3	1143	निजी	आवासीय	0.00485	शत्रुधन मिस्त्री पिता- चंद्रदीप मिस्त्री (1143)
4	1143	निजी	आवासीय	0.00485	दुर्गा मिस्त्री पिता - चंद्रदीप मिस्त्री (1143)
5	1143	निजी	आवासीय	0.00485	रमेश मिस्त्री पिता- चंद्रदेव मिस्त्री (1143)
6	1143	निजी	आवासीय	0.01214	पुना मिस्त्री पिता- राजेश्वर मिस्त्री (1143)
7	1143	निजी	आवासीय	0.00566	रामानंद यादव पिता- हरी सिंह (1143)

8	1143	निजी	आवासीय	0.00566	मीना देवी पति- उदय साव (1143)
9	1143	निजी	आवासीय	0.00463	चनारिक यादव पिता-रामविलास यादव (1143)
10	1143	निजी	आवासीय	0.004	राजगीर साव पिता- लेखा साव (1143)
11	1143	निजी	आवासीय	0.00833	ज्ञानचंद साव पिता- हरी सिंह (1143)
12	1143	निजी	आवासीय	0.00151	कन्हारि मिश्री (1143)
13	1143	निजी	आवासीय	0.00611	चनारिक यादव पिता- रामविलास यादव (1143)
			कुल	0.07399	

[फा. सं. RW/PAT/NH/120/Goh-Daudnagar/2018/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2021

S.O. 2940(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O.1063 (E) dated 8th March, 2021 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Strengthening & Widening to 2 lane with paved shoulder from km 142.050 to 167.465 of NH-120(Goh- Daudnagar) under NH Division Gaya in the State of Bihar.

And whereas the substance of the said notification has been published in **Hindustan** (Hindi Version) dated 28.04. 2021 and **“The Time of India”** (English Version) dated 28.04. 2021 Under sub-section (3) of section 3A of the said Act.

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

**Brief description of land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land:
Strengthening & Widening to lane paved shoulder from k.m. 142.050 to 167.465 of NH-120 (Goh- Daudnagar)
in Aurangabad District in the State of Bihar.**

State: BIHAR		District: AURANGABAD			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Goh				
	Village: Goh				
1	1143	Private	Residential	0.00655	Yamuna Mistri S/o Saguni Mistri 1143
2	1143	Private	Residential	0.00485	Bharat Mistri S/o Chandradeep Mistri 1143
3	1143	Private	Residential	0.00485	Satrudhan Mistri S/o Chandradeep Mistri 1143
4	1143	Private	Residential	0.00485	Durga Mistri S/o Chandradeep Mistri 1143
5	1143	Private	Residential	0.00485	Ramesh Mistri S/o Chandradeo Mistri 1143
6	1143	Private	Residential	0.01214	Puna Mistri S/o Rajeswar Mistri 1143
7	1143	Private	Residential	0.00566	Ramanand Yadav S/o Hari Singh 1143
8	1143	Private	Residential	0.00566	Mina Devi W/o Uday Saw 1143
9	1143	Private	Residential	0.00463	Chnarik Yadav S/o Ramvilash Yadav 1143
10	1143	Private	Residential	0.004	Rajgir Saw S/o Lekha Saw 1143
11	1143	Private	Residential	0.00833	Gyanchand Saw S/o Hari Singh 1143
12	1143	Private	Residential	0.00151	Kanhai Mistri 1143
13	1143	Private	Residential	0.00611	Chnarik Yadav S/o Ramvilash Yadav 1143
			TOTAL	0.07399	

[F. No. RW/PAT/NH/120/Goh-Daudnagar/2018/3D]

RAJESH GUPTA, Director